



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



क्षेत्रीय कार्यालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र/Regional Office, N. E. Region
पंचदीप भवन/ Panchdeep Bhawan
बामुनीमैदाम, गुवाहटी-781021/ Bamunimaidam, Guwahati-781021
वेबसाइट/ Website: www.esic.gov.in Email: rd-assam@esic.nic.in

No.43.A.12/16/1/2023-Estt(MTS)

दिनांक: .06.2025

कार्यालय आदेश सं 99/2025**Office Order No. 99/2025**

निम्नलिखित क्रामिकों के बहुकार्य स्टाफ (MTS) पद पर नियमित नियुक्ति/कार्यग्रहण को सक्षम प्राधिकारी ने उनके नाम के सामने उल्लिखित दिनांक से अनुमोदित किया है:-

The Competent Authority has approved the appointment/joining of the following officials to the post of Multi Tasking Staff (MTS) on regular basis with effect from the date given as under: -

Sl. No.	Name of Official (Sh./Smt./Ms.)	Employee ID	Date of Birth (DD-MM-YYYY)	Category/Category selected against	Educational Qualification	Date of Joining in ESIC (DD-MM-YYYY)
1.	Rohit Yadav	192899	15-02-2003	OBC/OBC	10 th and 12 th	26-05-2025
2.	Ashutosh Kumar Jha	192859	17-12-2000	EWS/UR	10 th , 12 th and Graduation	28-05-2025
3.	Arti Kumari	192917	05-05-2000	OBC (VH)/VH	10 th and 12 th	05-06-2025
4.	Soubhagya Nath	-	16-05-2002	UR/UR	10 th , 12 th and Graduation	13-06-2025

उपरोक्त क्रामिकों को एम.टी.एस. के रूप में नियुक्त किए जाने पर, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (₹18000-56900/-) (पूर्व संशोधित वेतन बैंड-I ₹5200-20200/- + ग्रेड पे ₹1800/-) में वेतन तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में स्वीकृत अन्य भत्ते देय होंगे, जो उनके कार्यग्रहण की तिथि से प्रभावी होगा।

The above officials on their appointment as MTS will draw the revised pay Level – 1 (Rs. 18000-56900/-) of Pay Matrix as per 7th Central Pay Commission (pre-revised Pay Band-I of Rs. 5200-20200/- with Grade Pay of Rs. 1800/-) plus usual allowance as admissible in the ESIC w.e.f. the date of joining appeared against their name.

उपरोक्त क्रामिकों की नियुक्ति वर्तमान में अस्थायी आधार पर की गई है और पद पर स्थायी पुष्टि उनकी नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति के अधीन होगी। वे कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारी एवं सेवा की शर्तें) विनियम, 2023, यथा संशोधित, तथा नियुक्ति पत्र में उल्लिखित अन्य नियमों एवं शर्तों के अधीन होंगे।

The appointment of officials as above has been made on temporary basis for the present and confirmation in the post is subject to the satisfactory completion of the period of probation i.e. 02 years from the date of appointment and they will be governed by ESI Corporation (Staff and Conditions of Service) Regulation 2023, as amended from time to time and other terms and conditions laid down in the Offer of Appointment issued to them.

उपरोक्त क्रामिकों का चिकित्सा परीक्षण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है तथा उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम में सेवा के लिए उपयुक्त पाया गया है।

The above officials have been medically examined by the competent authority and found fit for service under Employees' State Insurance Corporation.

उनकी नियुक्ति अनंतिम है और यह उनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाणपत्र तथा अन्य जानकारी की सत्यता के उपयुक्त चैनलों के माध्यम से सत्यापन पर निर्भर है। यदि सत्यापन से यह ज्ञात होता है कि क्रामिक द्वारा प्रस्तुत जानकारी/प्रमाणपत्र असत्य है, तो उनकी सेवा को बिना कोई कारण बताए तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी, और यह कार्यवाही भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत झूठी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए की जा सकने वाली कार्रवाई से पूर्वगामी नहीं होगी।

Their appointment is provisional and is subject to the verification of the Character & Antecedents, educational qualification, caste certificates and other information being verified through the proper channels and if the verification reveals that the information/ certificates provided by the official is false, the service will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such action as may be taken under the provisions of the Bhartiya Nyaya Sanhita for production of false information.

क्रामिकों को यह तत्काल सूचित करना होगा कि उन्होंने किसी परीक्षा या टेस्ट में भाग लिया है, ले रहे हैं या जिसके परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि उनके धर्म में कोई परिवर्तन हुआ है, तो उसकी जानकारी भी नियुक्तकर्ता/प्रशासनिक प्राधिकारी को तुरंत देनी होगी। नियुक्ति पत्र में उल्लिखित अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

The officials shall immediately intimate the details of any test or examination they have appeared in, are appearing in, or for which results are awaited. They should also inform about the change, if any, of their religion to their appointing / administrative authorities immediately after such a change. All other terms & conditions of appointment as communicated to them vide offer of appointment shall remain the same.

वे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या F.No.1(7)(2)2003/TA दिनांक 07.01.2004 के अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली (Contributory Pension System) के अंतर्गत शामिल होंगे।

They will be covered under the defined Contributory Pension System as contained in Ministry of Finance, Department of Expenditure Office Memorandum No. F.No. 1(7)(2)2003/TA dated 07.01.2004.

उप निदेशक (प्रशासन)
Deputy Director (Administration)

प्रति/Copy To:

1. संबंधित क्रामिकों को उनके नियंत्रणाधीन अधिकारियों के माध्यम से
The concerned Officials through the respective controlling officers
2. निजी सचिव, क्षेत्रीय निदेशक, क.रा.बी.नि. क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी
The PS to the Regional Director, ESIC Regional Office, Guwahati
3. डीन, क.रा.बी.नि. मेडिकल कॉलेज, बेलटोला
The Dean, ESIC Medical College Beltola
4. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.नि. आदर्श अस्पताल बेलटोला/क.रा.बी.नि. अस्पताल तिनसुकिया
The Medical Superintendent, ESICMH Beltola/ESICH Tinsukia
5. राज्य चिकित्सा अधिकारी, क.रा.बी.नि. क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी
The State Medical Officer, ESIC Regional Office, Guwahati

6. उप निदेशक/सहायक निदेशक (वित्त एवं लेखा/राजस्व-I, II एवं III/वसूली/सामान्य/लाभ/नकद/विधि/सी एंड आई/निरीक्षण एवं निगरानी/राजभाषा), क.रा.बी.नि. क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी
The Deputy Director/Assistant Director (F&A/ Revenue – I, II & III / Recovery/ General/ Benefit/Cash/Legal/C&I/I&S/OL), ESIC Regional Office, Guwahati
7. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय बीमा आयुक्त/क्षेत्रीय चिकित्सा आयुक्त कार्यालय
The Assistant Director, Office of the ZIC/ZMC
8. सहायक निदेशक, कैम्प कार्यालय (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम एवं त्रिपुरा)
The Assistant Director, Camp Office (Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Mizoram and Tripura)
9. क.रा.बी.नि. क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी के अधीन औषधालय सह शाखा कार्यालय/शाखा कार्यालय के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं शाखा प्रबंधकगण
The IMO I/C and Branch Managers of DCBOs/BOs under the jurisdiction of ESIC Regional Office, Guwahati
10. सेवा पुस्तिका अनुभाग सहायक, प्रशासन शाखा, क.रा.बी.नि. क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी
Service Book DA, Administration Branch, ESIC Regional Office, Guwahati
11. आईटी विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी (वेबसाइट पर अपलोड हेतु)
IT Cell, Regional Office, Guwahati for upload on website
12. संबंधित कर्मिकों की व्यक्तिगत फाइल
Personal file of concerned officials
13. गार्ड फाइल
Guard File